

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102022-239819 CG-DL-E-21102022-239819

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4782] No. 4782] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 21, 2022/आश्विन 29, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 21, 2022/ASVINA 29, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4999(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार यहां संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को अधिकृत करती है। सक्षम प्राधिकारी के रूप में उक्त अधिनियम के तहत उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट भूमि के विस्तार के संबंध में, आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी, उक्त अधिनियम के तहत ऐसे अधिकारियों के कार्यों को करने के लिए महाराष्ट्र राज्य में भारत माला चरण- II के तहत पुणे बेंगलुरू एक्सप्रेस (ग्रीन फील्ड संरेखण) के निर्माण के लिए उक्त अनुसूची के कॉलम (4), (5), (6) और (7) में उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुका / तहसील और गांवों से संबंधित।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में भारत माला चरण- II के तहत पुणे-बेंगलुरु एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड संरेखण) के लिए भूमि अधिग्रहण

	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम		गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	उपायमागाय	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	महाराष्ट्र	सांगली	खानापूर	1 माहुली

7123 GI/2022 (1)

विटा, उपविभाग, खानापूर कि.मी. 126.57 से 150.1 तक	2 वलखड 3 वेजेगाव 4 भेंडवडे 5 साळिशंगे 6 जोंधळिखंडी 7 मादळमुठी 8 वासुंबे 9 रेणावी 10 रेवणगाव 11 घोटी (बुद्गुक) 12 घोटी (खुर्द)
-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[फा. सं. NHAI/PIU/Pune/Pune-Bangalore/3a2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2022

S.O. 4999(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government here by authorizes the officers mentioned in column (2) of the schedule annexed hereto as the Competent Authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in corresponding entry in column (3) of the said schedule relating to State, Districts, Taluka/Tehsil and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said schedule for building Pune – Bengaluru Expressway greenfield Alignment under Bharatmala Phase-II in the state Maharashtra.

SCHEDULE

Land Acquisition for Pune – Bengaluru Expressway (Greenfield Alignment) under Bharatmala Phase-II in the state Maharashtra

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Sub Divisional Officer, Vita, Sub Division, Khanapur	126.57KM To 150.1KM	MAHARASHTRA	SANGLI	Khanapur	1 Mahuli 2 Walkhad 3 Wajegaon 4 Bhendevade

	5 Salshinge 6 Jondhalkhindi 7 Madhalmuthi 8 Wasumbe 9 Renavi 10 Revangaon 11 Ghoti (BK) 12 Ghoti (KH)
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

[F. No. NHAI/PIU/Pune/Pune-Bangalore/3a2]
RAJESH GUPTA, Director